दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

ले.पे.अ. 558/2024 और सि.वि.आ. 37587-88/2024

समीक्षा चौधरी व अन्य .....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अंकित कोहली, श्री अर्जुन अग्रवाल, अधिवक्तागण सह अपीलकर्ता स्वयं

बनाम

मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री टी. सिंहदेव, सुश्री भानु गुलाटी, श्री अभिजीत चक्रवर्ती, सुश्री अनुम हुसैन, श्री आभास सुखरमानी, श्री तनिष्क श्रीवास्तव व श्री. सौरभ कुमार, प्रत्यर्थी-3 के लिए धिवक्तागण।
श्री मोहिंदर जे.एस. रूपल श्री हार्दिक रूपल, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए अधिवक्तागण।

निर्णय की तिथि : 08 जुलाई, 2024

कोरमः
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति श्री तुषार राव गेडेला

<u>निर्णय</u>

<u>मनमोहन, का.मु.न्या. :</u> (मौखिक)

1. यह अपील लैटर्स पेटेंट अधिनियम, 1866 के खंड X सहपठित दिल्ली उच्च न्यायालय नियमों के प्रावधान के तहत दिनांक 27 मई, 2024 को रि.या.(सि) सं. 4016/2024 में पारित आदेश को रद्द कराने था कि कोई भी अपीलार्थीगण 3rd प्रोफेशनल पार्ट-II एमबीबीएस परीक्षा में भाग लेने का अधिकारी नहीं है और यह भी अभिनिर्धारित किया कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2024 को पारित किए गए निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें अपीलार्थीगण को यह निर्धारित किया गया था कि वे केवल तब ही 3rd प्रोफेशनल पार्ट-II एमबीबीएस परीक्षा में बैठने के पात्र और योग्य होंगे जब यह अप्रैल, 2025 में आयोजित की जाएगी।

2. अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी सं. 1 और 2/महाविद्यालयों में एमबीबीएस डिग्री कार्यक्रम की पुरानी योजना में नामांकित अंतिम वर्ष के एमबीबीएस एमबीबीएस छात्र हैं। पुरानी योजना वर्ष 2018 तक सभी बैचों पर लागू है, जबकि नई योजना 2019 के बैच से लागू की गई है।

3. इसलिए विवाद का मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थीगण दिनांक 11 मार्च, 2024 को निर्धारित 3rd प्रोफेशनल पार्ट II एमबीबीएस परीक्षा देने के अधिकारी थे या नहीं और यदि मान लिया जाए कि वे थे, तो क्या न्यायालय डीयू को निर्देश दे सकता है कि वे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष

वर्ष अर्थात 2024-2025 के दौरान अपीलार्थीगण के लिए 3rd प्रोफेशनल प्रोफेशनल पार्ट II एमबीबीएस परीक्षा आयोजित करें, बजाय इसके कि उन्हें दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तक इंतजार करना पड़े।

<u>अपीलार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्तागण की दलीलें :-</u>

(क) यह कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने गलत तरीके से एक स्वीकृत तथ्य को नजरअंदाज किया कि अपीलार्थी संख्या 2 ने दिनांक 28 अप्रैल, अप्रैल, 2023 से आयोजित 3rd प्रोफेशनल पार्ट I एमबीबीएस परीक्षाओं में पुरानी योजना के उसी बैच के अन्य नौ (9) छात्रों के साथ भाग लिया, जिनमें से सात (7) छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण हो गए, लेकिन उनमें से दो (2) छात्रों की उपस्थिति कम थी, अर्थात् 75% से कम उपस्थिति, जो कि डीयू के एमबीबीएस अध्यादेशों के नियम 8क के के अनुसार अनिवार्य है, फिर भी उपरोक्त दो (2) छात्रों को दिनांक 11 मार्च, 2024 से शुरू होने वाली 3rd प्रोफेशनल पार्ट II एमबीबीएस हुई लेकिन अपीलार्थीगण को दिनांक 7 मार्च, 2024 के आक्षेपित पत्र के के अनुचित निर्णय के कारण वंचित कर दिया गया। इस आधार पर, वह वह प्रस्तुत करते हैं कि यह अपीलार्थीगण के प्रति भेदभाव और मनमाने मनमाने विभाजन का स्पष्ट मामला है, जिसका सामना उन्हें

के कारण करना पड़ा।

(ख) यह कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य की विवेचना करने में विफल रहे हैं कि अपीलार्थीगण ने दिनांक 20 मई, 2024 के अंतरिम आदेश के संदर्भ में 3rd प्रोफेशनल पार्ट II (पूरक) परीक्षा में तीन पेपर कोदया का अवसर नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, परीक्षाएं एक वर्ष से अधिक, यानी कुल 1.5 वर्षों के लिए स्थगित कर दी गई हैं, हैं, जबकि इसमें अपीलार्थीगण की कोई गलती नहीं है।

(ग) यह कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य की विवेचना करने में विफल रहे हैं कि अपीलार्थीगण को अप्रैल, 2025 में आयोजित होने वाली वाली सभी परीक्षाओं में फिर से उपस्थित होना होगा, इस प्रकार अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थीगण (जो एमबीबीएस छात्र हैं) का भविष्य बिना उनकी गलती के दांव पर है, इसलिए दया की जाए और प्रत्यर्थीगण को उनकी शेष परीक्षाएं जल्द से जल्द लेने का निर्देश दिया जाए।

<u>डीयू के लिए विद्वान अधिवक्तागण की दलीलें :-</u>

4. श्री रूपाल, डीयू के लिए विद्वान अधिवक्ता ने दो प्रारंभिक आपत्तियाँ आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं, विशेष रूप से दिनांक 21 मई, 2024 को शुरू हुईं

3rd प्रोफेशनल पार्ट II पूरक परीक्षाओं में अपीलार्थीगण की भागीदारी के अधिकार के संबंध में। पहली यह है कि यह राहत उस रिट याचिका में में मांगी गई राहतों के अंतर्गत नहीं आती, जिसमें मुख्यतः डीयू को निर्देश देने की मांग की गई थी कि 2024-2025 शैक्षणिक वर्ष के दौरान दौरान अपीलार्थीगण के लिए 3rd प्रोफेशनल पार्ट II परीक्षाएं आयोजित आयोजित की जाएं। दूसरी यह है कि पूरक परीक्षाएं केवल इसलिए आयोजित की जाती हैं कि परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा के बैकलॉग पेपरों को उत्तीर्ण कर सके और चूंकि अपीलार्थीगण ने दिनांक 11 मार्च, 2024 को आयोजित 3rd प्रोफेशनल पार्ट II मुख्य परीक्षा नहीं दी है, उन्हें दिनांक 21 मई, 2024 से शुरू पूरक परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

5. इसके अलावा, श्री रूपल यह भी प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी अपीलार्थी ने अपने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के चरण III के भाग I में बारह (12) महीने और भाग II में बारह (12) महीने नहीं बिताए हैं, और ऐसा नहीं करने के बाद, वे अपनी अंतिम तीसरी व्यावसायिक भाग II परीक्षाओं में भाग लेने के हकदार नहीं थे।

<u>प्रत्यर्थी सं. 3/एनएमसी के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलीलें :-</u>

6. श्री टी. सिंहदेव, प्रत्यर्थी सं. 3/एनएमसी की ओर से उपस्थित

करते हैं कि स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997 (*इसके बाद "जीएमई विनियमावली"* के रूप में संदर्भित) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते बनाए गए थे। पाठ्यक्रम के अनुसार, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कार्यरत विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम के दौरान एक आवश्यक निर्धारित नैदानिक प्रशिक्षण अवधि से गुजरना पड़ता है। इसके विनियम 7 और 8 8 चरणों, चरण वितरण और परीक्षाओं के समय से संबंधित हैं और इन्हें इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

> *"7. प्रशिक्षण अवधि और समय वितरण*
>
> *(1) प्रत्येक छात्र को 4 ½ शैक्षणिक वर्षों की एक प्रमाणित अध्ययन अवधि से गुजरना होगा, जो मेडिकल पाठ्यक्रम के विषयों के अध्ययन की शुरुआत की तारीख से लेकर परीक्षा की समाप्ति की तारीख तक 9 सेमेस्टरों में विभाजित होगा (यानी प्रत्येक 6 महीने का) और उसके बाद एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप होगी। प्रत्येक सेमेस्टर में लगभग 120 शिक्षण दिवस होंगे, जिनमें से प्रत्येक 8 घंटे का कॉलेज कार्यकाल होगा, जिसमें एक घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल है।*
>
> *(2) साढ़े चार साल की अवधि को निम्नलिखित रूप से तीन चरणों में विभाजित किया गया है :-*
>
> *क) **चरण-1** (दो सेमेस्टर) - पूर्व-रोगलाक्षणिक विषयों से मिलकर बना है (मानव शरीर रचना, फिजियोलॉजी जिसमें बायो-फिजिक्स, बायो-केमिस्ट्री और मानविकी सहित सामुदायिक*

चिकित्सा का परिचय भी शामिल है)। सामुदायिक चिकित्सा का परिचय जिसमें मानविकी भी शामिल है, के 60 घंटे के अलावा, बाकी समय को शारीरिक रचना और फिजियोलॉजी के साथ बायो-केमिस्ट्री के बीच लगभग समान रूप से विभाजित किया जाएगा (फिजियोलॉजी 2/3 और बायो-केमिस्ट्री 1/3)।

*ख) **चरण-II** (3 सेमेस्टर) - जिसमें परा- रोगलाक्षणिक / रोगलाक्षणिक विषय शामिल हैं।*

इस चरण के दौरान परा- रोगलाक्षणिक और रोगलाक्षणिक विषयों का शिक्षण एक साथ किया जाएगा।

परा-रोगलाक्षणिक विषयों में पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी सहित फॉरेंसिक मेडिसिन और सामुदायिक चिकित्सा का भाग शामिल होगा।

रोगलाक्षणिक विषयों में वे सभी शामिल होंगे जो चरण III में नीचे दिए गए हैं।

परा-रोगलाक्षणिक शिक्षण के लिए समय में से पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन को संयुक्त रूप से लगभग बराबर समय आवंटित किया जाए (1/3 फॉरेंसिक मेडिसिन और 2/3 कम्युनिटी मेडिसिन)। परिशिष्ट-ग देखें।

*ग) **चरण-III** (चरण-I उत्तीर्ण करने के बाद सात सेमेस्टर के लिए रोगलाक्षणिक विषयों का अध्ययन जारी रहेगा)*
चरण II और III के दौरान पढ़ाए जाने वाले रोगलाक्षणिक विषयों में चिकित्सा और इसकी संबद्ध विशिष्टताएँ, शल्य चिकित्सा और इसकी संबद्ध विशिष्टताएँ, प्रसूति और स्त्री रोग और सामुदायिक चिकित्सा शामिल हैं।

इसके साथ उल्लिखित अनुसूची के अनुसार नैदानिक नियुक्ति के

अलावा, शिक्षण के बाकी घंटों को विभिन्न विषयों में उपदेशात्मक व्याख्यान, प्रदर्शन, सेमिनार, समूह चर्चा आदि के लिए विभाजित किया जाएगा। समय का वितरण परिशिष्ट-ग के अनुसार होगा।

चिकित्सा और इसके संबद्ध विशिष्टताओं के प्रशिक्षण में सामान्य चिकित्सा, बाल रोग, तपेदिक और छाती, त्वचा और यौन संचारित रोग, मनोचिकित्सा, रेडियो-निदान, संक्रामक रोग आदि शामिल होंगे।

शल्य चिकित्सा और उससे संबद्ध विशिष्टताओं के प्रशिक्षण में सामान्य शल्य चिकित्सा, फिजियो-थेरेपी और पुनर्वास सहित आर्थोपेडिक शल्य चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, ऑटोरिनोलैरिंजोलॉजी, एनेस्थीसिया, दंत चिकित्सा, रेडियो-थेरेपी आदि शामिल होंगे। प्रसूति एवं स्त्री रोग प्रशिक्षण में पारिवारिक चिकित्सा, परिवार कल्याण नियोजन आदि शामिल होंगे।

(3) पहले 2 सेमेस्टर (लगभग 240 शिक्षण दिवस) में चरण I (पूर्व- रोगलाक्षणिक) विषयों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए चिकित्सा शिक्षा के दृष्टिकोण की व्यापक समझ का परिचय को शामिल किया जाएगा। किसी भी छात्र को चरण II (परा-रोगलाक्षणिक/ रोगलाक्षणिक) विषयों के समूह में शामिल होने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह उन सभी चरण I (पूर्व-रोगलाक्षणिक विषयों) में उत्तीर्ण नहीं हो जाता है, जिसके लिए उसे चार से अधिक अवसरों (वास्तविक परीक्षा) की अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि नामांकन की तारीख से तीन साल में चार अवसर पूरे हो जाएं।

उपरोक्त उप-धारा 7(3) में "जिसके लिए उसे चार से अधिक अवसरों (वास्तविक परीक्षा) की अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि नामांकन की तारीख से तीन साल में चार अवसर पूरे हो जाएं" शब्दों को भारत के राजपत्र में दिनांक 30.09.2003 को प्रकाशित अधिसूचना के संदर्भ में हटा दिया गया है।

(4) पूर्व-रोगलाक्षणिक विषयों को उत्तीर्ण करने के बाद, डेढ़ साल (3 सेमेस्टर) परा-रोगलाक्षणिक विषयों के लिए समर्पित होंगे। चरण II नैदानिक पोस्टिंगों के साथ-साथ परा-रोगलाक्षणिक और रोगलाक्षणिक विषयों के लिए समर्पित होगा। रोगलाक्षणिक चरण (चरण III) के दौरान पूर्व-रोगलाक्षणिक और परा-रोगलाक्षणिक शिक्षण को रोगलाक्षणिक विषयों के शिक्षण में एकीकृत किया जाएगा।

(5) उपदेशात्मक व्याख्यान समय सारणी के एक तिहाई से अधिक नहीं होने चाहिए; दो तिहाई सारणी में व्यावहारिक, रोगलाक्षणिक या/और समूह चर्चा शामिल होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में जीवन के अनुभव, समस्या उन्मुख दृष्टिकोण, केस अध्ययन और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए।

(6) विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित प्राधिकारीगण प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन इस तरह से करेंगे कि प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से पहले सेमेस्टर में शिक्षण शुरू हो जाए। इस उद्देश्य के लिए, वे परिशिष्ट ड़ में दर्शाई गई सारणी का पालन करेंगे।

(6क) किसी भी परिस्थिति में 30 सितंबर के बाद किसी भी शैक्षणिक सत्र के संबंध में छात्रों का प्रवेश नहीं होगा। विश्वविद्यालय उक्त तिथि के बाद प्रवेश लेने वाले किसी भी छात्र को पंजीकृत नहीं करेंगे।

(6ख) भारतीय चिकित्सा परिषद निर्देश दे सकती है कि प्रवेश बंद होने की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश प्राप्त करने वाले किसी भी छात्र को अध्ययन के पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाए, या ऐसे छात्र को दी गई कोई भी चिकित्सा योग्यता भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं होगी।

जो संस्थान प्रवेश के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश देता है, वह भी ऐसी कार्रवाई का सामना करने

के लिए उत्तरदायी होगा जो एमसीआई द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जिसमें आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए इसकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता से इस प्रकार से किए गए प्रवेशों की सीमा के बराबर सीटों का समर्पण भी शामिल है।

(7) प्रथम व्यावसायिक एमबीबीएस परीक्षा के लिए पूरक परीक्षा 6 महीने के भीतर आयोजित की जा सकती है ताकि उत्तीर्ण होने वाले छात्र मुख्य बैच में शामिल हो सकें और असफल छात्रों को बाद के वर्ष में उपस्थित होना होगा बशर्ते कि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को मुख्य बैच की परीक्षा से पृथक दूसरी व्यावसायिक एमबीबीएस परीक्षा के लिए तीन सेमेस्टर (यानी 18 महीने) के अध्ययन का पूरा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ही दूसरी व्यावसायिक एमबीबीएस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।"

8. चरण वितरण एवं परीक्षाओं का समय :-

6 महीने	6 महीने	6 महीने	
1	2		प्रथम व्यावसायिक परीक्षा (द्वितीय सेमेस्टर के दौरान)
3	4	5	द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा (पाँचवें सेमेस्टर के दौरान)
6	7		तृतीय व्यावसायिक भाग I (सातवें सेमेस्टर के दौरान)
8	9		तृतीय व्यावसायिक भाग II (अंतिम व्यावसायिक)

टिप्पणियां :-

क) एक छात्र जो द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में विफल हो

जाता है, उसे तृतीय व्यावसायिक भाग I परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों को पास नहीं कर लेता है।

ख) *8वें और 9वें सेमेस्टर के प्रशिक्षण में प्रवेश करने से पहले तृतीय व्यावसायिक (भाग I) परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, हालांकि तृतीय व्यावसायिक (भाग II) परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए तृतीय व्यावसायिक (भाग I) परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।*

ग) *तीसरे से नौवें सेमेस्टर के दौरान, पूरे वर्ग के लिए दो सप्ताह के चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा में नैदानिक तरीकों में परिचयात्मक पाठ्यक्रम के बाद, विभिन्न विभागों के लिए नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट दैनिक तीन घंटे की अवधि की नैदानिक पोस्टिंग का सुझाव दिया गया है।*

कुल विषय	तीसरा सेमेस्टर (सप्ताह)	चौथा सेमेस्टर (सप्ताह)	पाँचवां सेमेस्टर (सप्ताह)	छठा सेमेस्टर (सप्ताह)	सातवां सेमेस्टर (सप्ताह)	आठवां सेमेस्ट (सप्ताह)	नौवां सेमेस्टर (सप्ताह)	योग (सप्ताह)
सामान्य चिकित्सा	6	-	4	-	4	6	6	26
बाल चिकित्सा	-	2	-	2	2	4	-	10
तपेदिक एवं वक्ष रोग	2	-	-	-	-	-	-	02
त्वचा एवं यौन संचारित रोग	-	2	-	2	-	2	-	06
मनोरोग चिकित्सा	-	-	2	-	-	-	-	02
रेडियोलॉजी	-	-	-	-	2	-	-	02
सामान्य शल्य चिकित्सा	6	-	4	-	2	6	6	26
हड्डी रोग	-	-	4	4	-	-	2	10
नेत्ररोग चिकित्सा	-	4	-	4	-	-	2	10
कान, नाक और गला (ईएनटी)		4	-	4	-	-	2	10

प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान सहित परिवार कल्याण नियोजन	2	4	4	-	4	4	6	24
सामुदायिक चिकित्सा	4	4	-	4	-	-	-	12
आपातकाल	-	-	-	2	-	-	-	02
दंतरोग चिकित्सा	-	-	-	-	2	-	-	02
योग (सप्ताह में)	18	22	18	22	18	22	22	142

7. श्री टी. सिंहदेव के अनुसार, अब तक एमबीबीएस पाठ्यक्रम को किसी विशेष समय में पूरा करने की कोई बाहरी सीमा नहीं है। इसके अलावा, आक्षेपित निर्णय के पृष्ठ 13 का उल्लेख करते हुए, जो वर्तमान पेपरबुक का पृष्ठ 75 है, जिसमें अपीलार्थीगम द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण की पूरी समयरेखा प्रदान की गई है, वे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामला अपीलार्थीगण को उनके संबंधित कॉलेजों द्वारा जारी प्रशिक्षण समापन प्रमाणपत्र की अवधि कम होने का है क्योंकि यह वास्तव में अपीलार्थीगण का स्वीकृत मामला है कि निर्धारित चौरासी (84) सप्ताह के प्रशिक्षण में से, अपीलार्थीगण ने केवल तिहत्तर (73) सप्ताह के नैदानिक प्रशिक्षण में भाग लिया था। इसलिए उनका तर्क है कि आक्षेपित निर्णय में दिए गए तर्क और निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया किया जाना चाहिए क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश उन प्रमाणपत्रों को

अनुमति देने में बहुत विचारशील थे और फिर भी, उन्होंने अपीलार्थीगण को परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए और जीएमई विनियमावली के तहत परिकल्पित एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक और निर्धारित प्रशिक्षण अवधि को पूरा करने के लिए विशिष्ट निर्देश भी देकर देकर उनकी शिकायत का समर्थन किया था। वे प्रस्तुत करते हैं कि इसलिए अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

8. हमने अपीलार्थीगण के साथ-साथ प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्तागम की दलीलें सुनी हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का भी अध्ययन किया है।

9. शुरुआत में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलार्थीगण वर्ष 2015 और 2017 में एमबीबीएस छात्रों के रूप में नामांकित हुए थे और और इस पाठ्यक्रम के अंतिम चरण तक पहुंचने में उन्हें क्रमशः नौ (9) व सात (7) वर्ष से अधिक का समय लगा है, जिसे आमतौर पर साढ़े चार (4.5) वर्षों में पूरा किया जाना होता है।

10. दूसरा पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि उन्होंने मई, 2023 में अपनी चरण III भाग I परीक्षा और अपनी पूरक परीक्षा केवल दिसंबर, 2023 में उत्तीर्ण की है। अपीलार्थीगण की मांग यह है कि दोनों अपीलार्थीगण क्रमशः 73 सप्ताह की प्रशिक्षण अवधि से गुजरे हैं, जिसे योग्यता अवधि के रूप में माना जाए जिससे

लिए कॉलेजों द्वारा जारी प्रशिक्षण समापन प्रमाण पत्र पर निर्भर हैं। इसे निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है :-

क) *"चरण वितरण एवं परीक्षाओं का समय"* के संबंध में जीएमई विनियमावली के विनियमन 8 के अनुसार प्रत्येक वर्ष की प्रशिक्षण प्रशिक्षण अवधि को स्पष्ट रूप से डिजाइन और समय-सारणीबद्ध किया गया है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि भाग I (7वां सेमेस्टर) के लिए प्रशिक्षण अवधि 6 + 6 महीने और तृतीय चरण चरण भाग II (अंतिम व्यावसायिक) के लिए 6 + 6 महीने है। यह स्पष्ट है कि इस वितरण की परिकल्पना उस क्षेत्र के शिक्षाविदों शिक्षाविदों और विशेषज्ञों द्वारा की गई है, जिनकी बुद्धिमत्ता पर न्यायालय संदेह नहीं कर सकते और न ही करना चाहिए। यह स्वीकार किया जाता है कि किसी भी अपीलार्थी ने तृतीय व्यावसायिक एमबीबीएस परीक्षा के भाग I के सफल समापन के बाद इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण अवधि को पूरा नहीं किया है। वास्तव वास्तव में, निःसंदेह दोनों अपीलार्थीगण ने केवल नौ महीने ही पूरे किए हैं और यह निर्धारित 12 महीनों की अवधि से कम हैं।

ख) यह जानकर आश्चर्य होता है कि संबंधित कॉलेजों ने अपीलार्थीगण

अपीलार्थीगण को प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाणपत्र कैसे जारी किए जब दोनों की अवधि जीएमई विनियमावली के विनियमन 8 के अनुसार अनुसार निर्धारित अवधि से कम हैं। विनियमन 8 के नीचे दी गई गई टिप्पणियां भी छात्रों को दिए जाने वाले नैदानिक प्रशिक्षण के के घंटों या महीनों में किसी भी कमी का उल्लेख नहीं करती हैं। हम विनियमन 8 के बारे में आक्षेपित निर्णय के पैरा नंबर 29 से से 32 में की गई इन टिप्पणियों के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश से पूरी तरह सहमत हैं।

ग) एक बार जब अपीलार्थीगण स्वीकार कर लेते हैं कि वे विनियमन के अनुसार निर्धारित अवधि से नहीं गुजरे हैं, तो उन्हें चरण III भाग II परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

11. हालांकि अंतरिम अवधि में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दोनों अपीलार्थीगण को चरण III भाग II के लिए तीन विषयों की पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी, जिसे अपीलार्थीगण ने पास करने का दावा किया है, हालांकि इससे उनके लाभ के लिए कोई न्याय संगतता संगतता उपलब्ध नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि विनियमन 8 8 के साथ संलग्न टिप्पणियों के अनुसार, जब तक अपीलार्थीगण अपनी अपनी चरण III भाग I परीक्षा पूरी तरह से पास नहीं करते, तब तक

परस्परव्यापी प्रशिक्षण अवधि को योग्य प्रशिक्षण अवधि नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह केवल नैदानिक प्रशिक्षण है जो अपीलकर्ता चरण ।।। भाग । परीक्षा के सफल समापन के बाद करेंगे, जो चरण ।।। भाग ।। परीक्षा के लिए योग्य प्रशिक्षण अवधि के रूप में में गिना जाएगा। हालांकि, वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और प्रत्यर्थीगण को शेष नैदानिक प्रशिक्षण अवधि को पूरा करने की अनुमति देने के लिए निर्देशित निर्देशित किया है। हम उक्त निर्देश को बदलने के इच्छुक नहीं हैं। यह मामले के विशिष्ट तथ्यों में न्यायसंगत होगा।

12. उपरोक्त कारणों से, हम माननीय एकल न्यायाधीश के विस्तृत निर्णय के पैरा नंबर 52 और 54 में दिए गए तर्क और निर्देशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है।

13. लंबित आवेदनों का निपटान किया जाता है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

तुषार राव गेडेला, न्या.

8 जुलाई, 2024
आरएल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*